

पंजीयन प्रोसेसिंग राशि संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम अन्तर्गत रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग पूर्व से प्रचलित मार्ग का चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन करने हेतु प्रस्ताव में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, रतलाम द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से कुल रूपयें 6000/- की राशि जमा कराया गया है। जिसमें पंजीयन शुल्क 1000/- एवं प्रोसेसिंग शुल्क 5000/- रूपयें, जो शासन के राजस्व मद में ई-चालान क्रमांक 0406102/सी.आर.एन. नं. MPT040606102021000030 दिनांक 06-10-2021 से जमा किया गया है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

क्षतिपूर्ति वनीकरण संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत शासन निर्देशानुसार प्रकरण में प्रभावित वनक्षेत्र 4.977 हेक्टेयर के एवज में ग्राम शेरपुर, तहसील पिपलौदा सर्वे न. 858 रकबा 4.977 हेक्टेयर गैर वनभूमि प्राप्त की गई है। जिसकी 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कर प्रकरण के संलग्न प्रेषित है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

आवेदक संस्था के विरुद्ध बकाया राशि संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत आवेदक विभाग की पूर्व में किसी भी योजना में इस वनमण्डल की सी.ए./एन.पी.व्ही. संबंधी कोई राशि बकाया होना नहीं पाई गई।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

दुर्लभ संकटापन्न फलोरा/फोना संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई भी दुर्लभ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के कोई पेड़ पौधे नहीं है, तथा दुर्लभ प्रजाति का वन्य प्राणी होना नहीं पाया गया है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

आवेदित क्षेत्रों में वृक्षों की गणना संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत वनभूमि में निर्माण किये जाने वाले स्थल 4.977 हेक्टेयर वनभूमि में विभिन्न प्रजाति के 22 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य मार्ग निर्माण अंतर्गत आवेदक द्वारा वनभूमि में निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन संबंधी कार्य नहीं किया गया।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

सैलाना अभ्यारण्य क्षेत्र से दूरी दर्शाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वनक्षेत्र से वन परिक्षेत्र सैलाना में स्थित सैलाना अभ्यारण्य क्षेत्र से लगभग 19.00 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जो ईको सेंसिटिव जोन 2 कि.मी. की परिधि में नहीं आता है।


वनमण्डल अधिकारी
रतलाम

न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत वनभूमि में न्यूनतम वनक्षेत्र का उपयोग किया जावेगा, आवेदक विभाग द्वारा इस संबंध में विकल्प मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जो आवश्यक नहीं है।


वनमण्डल अधिकारी
रतलाम

आवेदित वनक्षेत्र का घनत्व, प्रजाति, ईकोक्लास व गुणवत्ता श्रेणी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वन क्षेत्र में कोई बहुमूल्य प्रजाति के वृक्ष होना नहीं पाया गया है। वनभूमि ईकोक्लास श्रेणी 5/ए. सी. का होकर 0.4 से भी कम घनत्व का वन क्षेत्र बी.एल-02, 03 का होना पाया गया है।


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

वन्यप्राणी गणना वर्ष 2018 के परिणाम

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वन क्षेत्र में वर्ष 2018 में की गई वन्यप्राणी गणना में निम्नलिखित वन्यप्राणी के प्रमाण/साक्ष्य देखे गये :-

01) लोमड़ी 02) सियार 03) नीलगाय 04) लकड़बग्घा


वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

ऐतिहासिक / पुरातत्व धरोहर / रक्षा प्रतिष्ठान न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई भी सुरक्षित ऐतिहासिक/पुरातत्वीय स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनमण्डल रतलाम के वन परिक्षेत्र शिवगढ़/बाजना के वनखण्ड माही भाग-4 में वन कक्ष क्रमांक पी-69, 70, 76, 77 एवं वनखण्ड साम्भरखो के में वन कक्ष क्रमांक पी-51, 52 के अन्तर्गत पूर्व से प्रचलित मार्ग रतलाम-मोरवनी-उमर-रावटी-बाजना की चौड़ाई बढ़ाई जाकर उन्नयन कार्य कर मार्ग निर्माण अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि से किसी भी ग्रामवासियों का व्यवस्थापन नहीं किया जाना है।

वनमण्डलाधिकारी
रतलाम